

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-4/कृ०शि०को०-27/2017- 113

/कृ०, पटना, दिनांक 21/01/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(1) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषय:-

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अधीन बोटैनीकल गार्डन कम प्लांट कन्जरवेटरी की स्थापना हेतु 95.00 लाख (पंचानवे लाख) रुपये की परियोजना लागत एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन 23.82 लाख रुपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अतिरिक्त अवशेष राशि 71.18 लाख (एकहत्तर लाख अठारह हजार) रुपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या-3806 दिनांक 25.09.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2017-18 में बोटैनीकल गार्डन कम प्लांट कन्जरवेटरी की स्थापना हेतु 95.00 लाख (पंचानवे लाख) रुपये की परियोजना लागत एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन 23.82 लाख रुपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अतिरिक्त अवशेष राशि 71.18 लाख (एकहत्तर लाख अठारह हजार) रुपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या-3806 दिनांक 25.09.2017 के क्रम में योजना कार्यान्वयन हेतु शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि निम्न प्रकार है,
(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	निकासी हेतु स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0108- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड- 01-2415012770108 विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	1155.96	61.15
मुख्य शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0103- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड- 01-2415017890103 विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	220.11	9.11
मुख्य शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-फसल कृषि कर्म- लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0104- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड- 01-2415017960104 विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	14.11	0.92
कुल	1390.18	71.18

4. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 71.18 लाख (एकहत्तर लाख अठारह हजार) रूपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

5. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी0टी0सी0-42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणों उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेख संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।


7. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्वीकृति संचिका संख्या- 4/कृ0शि0को0-27/2017 के पृ0सं0- 7/टि0 पर प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 4/कृ0शि0को0-27/2017 के पृ0सं0- 8/टि0 पर दिनांक 03.01.2018 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


8.1.2018
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:-4/कृ0शि0को0-27/2017 113 /कृ0, पटना, दिनांक 8/01/2018, 2018


प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा), महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


8.1.2018
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:-4/कृ0शि0को0-27/2017 113 /कृ0, पटना, दिनांक 8/01/2018, 2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


8.1.2018
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-4/कृ0शि0को0-27/2017

113

/कृ0, पटना, दिनांक 8/01/2018 2018

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


8-1-2018
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-4/कृ0शि0को0-27/2017

113

/कृ0, पटना, दिनांक 8/01/2018 2018

प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार, पटना/बजट प्रभारी, कृषि विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप निदेशक (सूचना) को विभाग को बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।


8-1-2018
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।